



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 510]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2016/श्रावण 3, 1938

No. 510]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2016/SRAVANA 3, 1938

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 719(अ)।—केंद्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 और धारा 33द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. संख्या 422(अ) तारीख 18 मई, 2015 के अधिक्रमण में, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों के अधीन आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी के बारे में कर्तव्यों के निष्पादनार्थ इस समय आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय में कार्यरत तथा निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों को सम्पूर्ण भारत के लिए अतिरिक्त प्रभार सहित निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:-

क्र.सं.	नाम व पदनाम
(1)	(2)
1.	डॉ. दुष्यंत किशोर, अनुसंधान अधिकारी, (आयुर्वेद)
2.	डॉ. सचिन कुमार, अनुसंधान अधिकारी, (आयुर्वेद)
3.	डॉ. मोहम्मद आरिफ, अनुसंधान अधिकारी, (यूनानी)

4.	डॉ. अर्चना पालीवाल, अनुसंधान अधिकारी, (होम्योपैथी)
5.	डॉ. जी. सेथिलवेल, अनुसंधान अधिकारी, (सिद्ध)
6.	डॉ. अस्मिता सिंह, अनुसंधान अधिकारी, (आयुर्वेद)
7.	डॉ. जिना एम.एस., अनुसंधान अधिकारी, (आयुर्वेद)

2. ऊपर उल्लिखित अधिकारी आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय में अपने सामान्य कर्तव्यों के अलावा इन कार्यों का निष्पादन अतिरिक्त पारिश्रमिक के बगैर करेंगे।

[फा. सं. ए. 11012/01/2014-डीसीसी (आयुष)]

ए. के. गनेरीवाला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 25thJuly, 2016

G.S.R. 719(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 and section 33G of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in supersession of notification G. S. R No. 422(E)dated 18th May, 2015, of the Government of India in the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, hereby appoints the following officers presently working in the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy specified under column (2) of the table given below as Inspectors with additional charge for the whole of India to discharge the duties in respect of the Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathic drugs under the provisions of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945:-

Sl. No.	Name and Designation
(1)	(2)
1.	Dr. Dushyant Kishore, Research Officer (Ayurveda)
2.	Dr. Sachin Kumar, Research Officer(Ayurveda)
3.	Dr. Mohammad Arif, Research Officer (Unani)
4.	Dr. Rachna Paliwal, Research Officer (Homoeopathy)
5.	Dr. G. Senthilvel, Research Officer (Siddha)
6.	Dr. Asmita Singh, Research Officer (Ayurveda)
7.	Dr. Jina M.S., Research Officer (Ayurveda)

2. The above mentioned Officers will discharge the work in addition to their normal duties in the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, without additional remuneration.

[F. No. A. 11012/01/2014-DCC (AYUSH)]

A. K. GANERIWALA, Jt. Secy.